>

Title: Need to enact stringent laws to ban child labour in the country.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) भारत में छः करोड बच्चे बाल श्रमिक हैं। उनका शोषण हो रहा है। उनके अधिकारों का हनन हो रहा है एवं अनदेशी हो रही है। भारत ने यूनिसेफ को अपना संकल्य दोहराया है कि भारत बाल श्रम विमुक्त हो जाएगा। बाल श्रमिकों को पटाखों, चूड़ी, सिंदूर इत्यादि अति संवेदनशीनल उद्योगों में भी लगाया जाता है। कई बार इन उद्योगों में बड़ी संख्या में बाल श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है।

सरकारी संस्था, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसका प्रत्येक वर्ष आकलन करे एवं इसमें कमी लाने के लिए सरकार को उपाय सुझाए।

मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि केंद्र सरकार इस दिशा में राज्य सरकारों के साथ मिलकर बाल श्रमिकों की संख्या में कमी लाने के लिए सख्त कानून बनाए एवं वर्तमान में विद्यमान कानूनों पर सख्ती से अमल करें।